न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 195 / 2020

उनवान

1- श्रीमति फुमा पत्नी तेजा चमार निवारी बडेसरा तहसील शाहपुरा
2- श्री भैरू पुत्र श्री गोकल चमार निवारी बडेसरा तहसील शाहपुरा

प्रार्थीगण

बनाम

1 श्री सुखा पुत्र श्री मोती गाडरी निवारी बडेसरा तहसील शाहपुरा
2 श्री माधु पुत्र श्री धन्ना चमार निवारी बडेसरा तहसील शाहपुरा
3- श्री हजारी पुत्र श्री मोती गाडरी निवारी बडेसरा तहसील शाहपुरा
4 श्री जमनालाल पुत्र श्री लक्ष्मण चमार निवारी बडेसरा तहसील शाहपुरा
5- श्री धन्ना पुत्र श्री प्रताप चमार निवारी बडेसरा तहसील शाहपुरा
6 श्री रामपाल पुत्र श्री मांगीलाल ब्राह्मण निवारी बडेसरा तहसील शाहपुरा
7- श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री चांद मुसलमान निवारी बडेसरा तहसील शाहपुरा
8 रामसुखी पुत्री श्री शंकरलाल ब्राह्मण निवारी गांधीपुरी शाहपुरा
9- सावीत्री पत्नी श्री भंवरलाल ब्राह्मण निवारी गांधीपुरी शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति – श्री अक्षयराज रेबारी
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 12/07/2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थीगण ग्राम **बडेसरा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा में स्थित **आराजी नम्बर 5 रकबा 0.44 है0, 835 रकबा 0.01 है0, 836 रकबा 1.40 है0, 842 रकबा 1.22 है0** कुल किता **4** रकबा **3.07** हेक्टेयर के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 3 लगायत 7** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 01, 02, 08, 09** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम बड़ेसरा संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात के **प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **बड़ेसरा** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त सयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता **4 रकबा 3.07 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 1500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **12/07/2021** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि – तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.